

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

PAG 2638 R-489
25/10/18

जयपुर, दिनांक : 12-10-18

आदेश

क.मु.क. प. 13(14)चिस्वा/2/18

आदेश (4) डॉ राजाराम शर्मा, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जायल, नागौर द्वारा नियमित सूचना सहायक की नियुक्ति होने के बावजूद मशीन विद मैन को रखकर राजकोष को हानि पहुंचाने के प्रकरण में श्री शर्मा के विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध होने की स्थिति में नही होने के कारण डॉ राजाराम शर्मा के विरुद्ध प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्यवाही को इसी स्तर पर बन्द किया जाता है।

आज्ञा से,

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निदेशक(जनस्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन अजमेर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।
4. डॉ राजाराम शर्मा, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जायल, नागौर।
5. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव

रजिस्टर्ड

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- सीबी/सीएएस/आर-489/2018/477

दिनांक : 13/11/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-अजमेर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर को शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग के आदेश दिनांक 12.10.2018 भेजकर लेख है कि डॉ० राजाराम शर्मा, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जायल, नागौर को तामील करवा कर तामील रसीद भिजवाना सुनिश्चित करावें।
4. अति० प्रशासनिक अधिकारी, राजपत्रित संस्थापन अनुभाग, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि डॉ० राजाराम शर्मा, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जायल, नागौर संस्थापन की मूल पत्रावली संख्या आर-714 मय नोटशीट संलग्न कर भिजवाई जा रही है।
5. डॉ० राजाराम शर्मा, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जायल, नागौर।
6. प्रशारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(सूर्यकान्त आचार्य)

अति० प्रशा० अधि० (राजपत्रित सीबी)
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।